


सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का

प्रारूप - 2

क्रम सं०	कर्मचारी कोड	नाम/पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	42270313M00972	श्री महेन्द्र सिंह मेहरा (वरिष्ठ सहायक)	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त लो०नि०वि०, पिथौरागढ़	अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त लो०नि०वि० अल्मोड़ा	महोदय मेरे परिवार हम दो भाई हैं। बड़े भाई अपने परिवार के साथ (शामी) में हैं। मेरा घर/गाँव जनपद अल्मोड़ा से 12 कि०मी० दूर है। गाँव में माताजी अकेली रहती हैं, जो अत्यधिक वृद्धावस्था हैं, वृद्धावस्था होने के कारण उनका स्वास्थ्य अधिकतर खराब रहता है, जिस कारण उन्हें उपचार/परीक्षण हेतु अल्मोड़ा अस्पताल में दिखाने की जरूरत होती है। आतः महोदय से प्रार्थना है कि माताजी की देख-भाल/स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मेरा स्थानान्तरण प्रथम वृत्त, लो०नि०वि० अल्मोड़ा करने की महति कृपा कीजिएगा।

  
श्री महेन्द्र सिंह मेहरा  
(वरिष्ठ सहायक)  
तृतीय वृत्त लो०नि०वि० पिथौरागढ़,

(इ० जे०एस० हंयाकी)  
अधीक्षण अभियन्ता,  
तृतीय वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महेन्द्र गिरी	वरिष्ठ सहायक	द्वितीय वृत्त लो०नि०वि० नैनीताल	बागेश्वर/ गरूड	-	धारा के नाम के आगे लगायें <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पाँच) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापन "ख" बर्ग लो०नि०वि० देहरादून के कार्यालय ज्ञाप सं० 474/05 व्यघ-स्थानान्तरण/24 दिनांक 10.06.2024 द्वारा मेरा स्थानान्तरण दुर्गम वृत्त लो०नि०वि०, अल्मोड़ा से सुगम वृत्त, द्वितीय वृत्त, लो०नि०वि०, नैनीताल में किया गया था जिसके अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.06.2025 को द्वितीय वृत्त, लो०नि०वि०, नैनीताल में योगदान दिया गया। स्थानान्तरण के समय उक्त वृत्त सुगम था लगभग 09 माह 11 दिन व्यतीत होने के पश्चात पुनः स्थानान्तरण की पात्रता सुची में प्रार्थी का नाम अंकित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी दुर्गम में ही तैनात रहने का इच्छुक है। इसमें मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। शासनादेश सं० I/130236/XXX(2)/2023/E-33080 दिनांक 15.06.2023 के बिन्दु सं० 04 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में दुर्गम में तैनात कर्मिक यदि दुर्गम में ही तैनात रहना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान की जा सकेगी किन्तु ऐसे कर्मिक को एक ही कार्यालय/तैनाती स्थल पर 4 वर्ष से अधिक का समय नहीं हुआ हो का प्राक्ख्यान है। प्राक्ख्यान अनुसार प्रार्थी को वर्तमान कार्यालय में योगदान दिये हुए अभी 09 माह 11 दिन का समय ही हुआ है। अतः मुझे दुर्गम से सुगम कार्यालय हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- महेन्द्र गिरी  
पदनाम- वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- अधीक्षण अभियन्ता  
पदनाम- द्वितीय वृत्त, लो०नि०वि० नैनीताल

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में।	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
					7 धारा के नाम के आगे लगाये	8 प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	प्रताप सिंह कण्डवाल,	वरिष्ठ सहायक	8वाँ, वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी	टिहरी/जाखणीघार	उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग वृत्तीय कार्यालय मिनिस्टीरियल संघ के जनपदीय सचिव होने के कारण ऐच्छिक स्थान नहीं भरे गये है।	समाचार पत्र की कतरन/प्रेस विज्ञापित की प्रति	स्थानान्तरण एक्ट की धारा 17(2) अन्तर्गत सरकारी सेवकों के मान्यत सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव जिनमें शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी शामिल हैं, को स्थानान्तरण में छूट प्रदान है। अतः प्रार्थी को संगठन का जनसचिव निर्वाचित होने के कारण स्थान में छूट प्रदान करने की कृपा कीरि साक्ष्य हेतु समाचार पत्र की कतरन-विज्ञापित की प्रति संलग्न है

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम-प्रताप सिंह कण्डवाल,

पदनाम-वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम-इं0 के0एस0 नेगी

पदनाम-अधीक्षण अभियन्ता

कृपा करेंगे।

कृपा के लिए समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने की

# उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग वृत्तीय कार्यालय

## मिनिस्ट्रीयल संघ (जनपद टिहरी गढ़वाल)

(शासनादेश संख्या-1314/लो0नि0वि0-2/2004-234 (सामान्य) /2002, दिनांक 19.11.2004 द्वारा मान्यता प्राप्त)

वेदप्रकाश

जनपदीय अध्यक्ष

8वाँ वृत्त, लो0नि0वि0 नई टिहरी

मो0 नं0-8650576577

प्रताप सिंह कण्डवाल

जनपदीय सचिव

8वाँ वृत्त, लो0नि0वि0 नई टिहरी

मो0 नं0-9917592668

पत्रांक 01/वृ0का0मि0एसो0टिहरी गढ़वाल

दिनांक 06.04.2026

दिनेश चौहान

(जनपदीय उपाध्यक्ष)

8171208068

प्रमोद चमोली

(जनपदीय संयुक्त

सचिव)

6398888360

अजय भट्ट

(जनपदीय कोषाध्यक्ष)

8218991167

राकेश सिंह महर

(जनपदीय सम्प्रेक्षक)

6396736588

### “प्रेस विज्ञापित”

दिनांक 06.04.2026 को लो0नि0वि0 वृत्तीय कार्यालय मिनिस्ट्रीयल संघ जनपद शाखा टिहरी गढ़वाल का द्विवार्षिक चुनाव श्री कैलाश चन्द्र नौटियाल, अपर सहायक अभियन्ता एवम् श्री मनोज कुमार मानचित्रकार की देख-रेख में सम्पन्न कराया गया, जिसमें श्री वेदप्रकाश, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जनपदीय अध्यक्ष, श्री प्रताप सिंह कण्डवाल, वरिष्ठ सहायक जनपदीय सचिव (मंत्री), श्री दिनेश चौहान, कनिष्ठ सहायक जनपदीय उपाध्यक्ष, श्री प्रमोद चमोली, कनिष्ठ सहायक जनपदीय संयुक्त सचिव, श्री अजय भट्ट, कनिष्ठ सहायक जनपदीय कोषाध्यक्ष तथा श्री राकेश महर, वरिष्ठ सहायक को जनपदीय सम्प्रेक्षक सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किया गया। नव निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा पद एवम् गोपनीयता की शपथ ग्रहण की गयी। उक्त बैठक में श्रीमती रेखा बिष्ट, श्री मनोज भट्ट, श्री विनोद राणा, श्री पवनेश बिष्ट, श्री नरेन्द्र डिमरी, श्रीमती नीतू नौटियाल, श्री दीपक रावत आदि उपस्थित रहे।

(प्रताप सिंह कण्डवाल)  
जनपदीय सचिव

(वेद प्रकाश)  
जनपदीय अध्यक्ष

1. प्रतिलिपि- प्रमुख अभियन्ता एवम् विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित
2. प्रतिलिपि- मुख्य अभियन्ता महोदय स्तर-1, लो0नि0वि0, पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित
3. प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रतिलिपि- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रतिलिपि- सम्पादक अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त को अपने-अपने समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने की कृपा करेंगे।
6. प्रतिलिपि- प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री उत्तराखण्ड, वृत्तीय कार्यालय लो0नि0वि0, संघ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रतिलिपि- क्षेत्रीय अध्यक्ष/मंत्री उत्तराखण्ड, वृत्तीय कार्यालय लो0नि0वि0, संघ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(वेद प्रकाश)

जनपदीय अध्यक्ष,  
वृत्तीय कार्यालय मिनिस्ट्रीयल संघ  
जनपद शाखा-टिहरी गढ़वाल

स. प्रमोद चमोली  
(संयुक्त सचिव)

**अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2**

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद /तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राहुल भट्ट	वरिष्ठ सहायक	छठा वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी	पौड़ी/ श्रीनगर	1. 08 वां वृत्त लो०नि० वि० नई टिहरी 2. 12 वां वृत्त लो०नि०वि० पौड़ी	धारा के नाम के आगे <input checked="" type="checkbox"/> लगायें  <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(पांच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(छः) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण  प्रार्थना पत्र	प्रार्थी की सेवा दुर्गम क्षेत्र में 03 वर्ष हो गयी है। अतः स्थानान्तरण एक्ट की धारा 13(2) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत करने की कृपा करे।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- राहुल भट्ट

पदनाम- वरिष्ठ सहायक

रिजिस्ट्रेशन  
नं० 219/26

*(Signature)*  
8-5-21

हस्ताक्षर(कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- इं०विजय कुमार

पदनाम- अधीक्षण अभियन्ता